फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

भानु बनाम ईश्वर (वगैरा)

मुकदमा प्रा.पत्र 111-128 नं० 84 सन 2021

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
2-7-21	दावा / प्रार्थनापत्र दावा जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर ... प्रतिपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 27-8-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
27/8/21	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 से 13, 15 से 19, 22, 23 के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। वकील प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 3, 5, 9, 14, 20 व 21 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 6 से 8 व 10, 11, 12, 13, 15 से 19, 22, 23 को तितली मर्तबा आवाजे दिलाये जाने के बाद भी अनुपस्थित, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। वास्ते पत्रावली मे देखने मौका रिपोर्ट हेतु नियत दिनांक 28-9-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	विपक्षी सं० 3, 5, 9, 14, 20, 21 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहता हूँ। (हस्ताक्षर)
11-10-21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प ग्राम पंचायत धुवाला ... पेश हुई, बाबत तहसीलदार माण्डल ... प्राप्त हुई जिसे शा० ... । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:22:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 84/21 प्रा. पत्र

1- श्री नानु s/o लालु जैस्या निवासी - धुंवाला तहसील - माण्डल (कोरा) --प्रार्थी

बनाम

1- श्री ईश्वर s/o कल्ला जाट निवासी - धुंवाला तहसील - माण्डल (कोरा) --विपक्षीगण

(प्रतिहस्ताक्षरित प्रा. पत्र संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक 11.10.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू. राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धुंवाला पटवार हल्का धुंवाला तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 1753 कुल किता 01 रकबा 0.0632 हेक्टेयर -- स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.7.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है ।वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम धुंवाला पटवार हल्का धुंवाला तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 1753 कुल किता 01 रकबा 0.0632 हेक्टेयर - भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 400/- /- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गढ़ी नहीं की जावे ।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल, जिला- भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:22:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी के अनुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल, जिला- भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021